


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग, पाली संभाग-पाली

--: कार्यालय-आदेश ::--

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयी मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32 व 33 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.11.2022 की अभिशंषा पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक (टीएसपी क्षेत्र) पद पर (पे मेट्रिक्स एल-08) वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम	जन्मतिथि	जिला	जाति वर्ग	चयन वर्ग	चयन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	41	2007-09	अशोक कुमार परिहार	11-01-1977	सिरोही	अजा	UR	01-04-2022
2	59A	2007-09	कुन्दन बैरवा	22-09-1989	सिरोही	अजा	UR	01-04-2022
3	9	2010-12	अशोक कुमार गौड	18-02-1974	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
5	165	2013-14	महिपाल सिंह	24-12-1993	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
6	166	2013-14	विक्रम भारती	07-05-1985	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
7	167	2013-14	सुनिल कुमार जाटव	08-07-1992	सिरोही	अजा	UR	01-04-2022
8	168	2013-14	राकेश कुमार गरासिया	14-10-1991	सिरोही	अजजा	ST	01-04-2022
9	169	2013-14	पुष्पा कुमारी गरासिया	30-11-1991	सिरोही	अजजा	ST	01-04-2022
11	200	2014-15	ललित कुमार कडिया	25-10-1988	सिरोही	अजा	UR	01-04-2022
12	216	2014-15	हितेन्द्र सिंह गुर्जर	08-07-1987	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022
13	220	2014-15	सुन्नर मारु	01-01-1989	सिरोही	अजा	UR	01-04-2022
14	82	2016-17	सुरेश कुमार	27-11-1988	सिरोही	अजा	SC	01-04-2022
15	101	2016-17	सुरेन्द्र सिंह	30-06-1968	सिरोही	सामान्य	UR	01-04-2022

सेवानिवृत्त, मृत्यु एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के प्रकरणों के अतिरिक्त उपयुक्त समस्त पदोन्नत कामिनों में से जो पदोन्नति पर कार्यग्रहण करना चाहते हैं वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान एवं पद यथावत कार्य करते हुए पदोन्नत पद की कार्यग्रहण रिपोर्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को दिनांक 03.12.2022 तक प्रस्तुत करेंगे तथा पदोन्नति परित्याग करने वाले कार्मिक पदोन्नति परित्याग की सूचना कार्यालयध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को दिनांक 03.12.2022 तक प्रस्तुत करेंगे। संबंधित कार्यालयध्यक्ष पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक से नियमानुसार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95(33/01) दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानानुसार संतान घोषणा पत्र प्राप्त कर नियमानुसार पात्र होने पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करेंगे।


(राजेन्द्र कुमार शर्मा)

संयुक्त निदेशक

स्कूल शिक्षा, पाली संभाग पाली

दिनांक :- 30-11-2022

क्रमांक:-संनि/शिक्षा/पाली/संस्था-2/मंत्रालयिक डीपीसी/वस/22/1034

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक राजस्थान बीकानेर।

2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पाली/जालोर/सिरोही।


जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली/जालोर सिरोही को प्रेषित कर लेख है कि जिले के पदोन्नत कार्मिकों की कार्यग्रहण/परित्याग की समेकित सूचना दिनांक 05.12.22 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/एडीपीसी/डाईट, पाली/जालोर/सिरोही।

5. सम्बन्धित सीबीईईओ/कार्यालयध्यक्ष/संस्था प्रधान।

6. सम्बन्धित कार्मिक।

6. रक्षित पत्रावली।


उप जिला शिक्षा अधिकारी

(संस्थापन)

स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली